

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-30.07.2021

मुठभेड के उपरान्त अवैध असलहा मय कारतूस व 01 ट्रैक्टर-ट्राली सहित 03 अभियुक्त थाना अहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी अनूपशहर श्री रमेश चन्द के निकट पर्यवेक्षण में विगत रात्रि में श्री सतेन्द्र कुमार थाना प्रभारी अहार मय फोर्स के तलाश वांछित व संदिग्ध वाहना/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी की दिनांक 26-07-2021 की रात्रि में ग्राम दरावर से चोरी हुई ट्राली को 04 व्यक्ति ट्रैक्टर के पीछे जोडकर बेचने जा रहे है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम चरोरा नहर के पास चैकिंग करने लगी तभी एक ट्रैक्टर-ट्राली ग्राम पोटा बादशाहपुर की ओर से आता दिखाई दिया पुलिस टीम द्वारा टोर्च दिखाकर ट्रैक्टर-ट्राली पर बैठे व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया। जिसपर ट्रैक्टर पर बैठे व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर 03 अभियुक्तों को समय करीब रात्रि 01.15 बजे 01 ट्रैक्टर-ट्राली व अवैध अस्लाह मय कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। 01 अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. मूलचन्द पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम फरीदा बांगर थाना नरसेना बुलन्दशहर।
2. रोहित कुमार पुत्र रूपचन्द निवासी उपरोक्त
3. मौहम्मद हासिम पुत्र साजिद अली निवासी ग्राम इमलिया थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर।

बरामदगी-

- 1- चोरी की गयी ट्राली
- 2- 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस
- 3- 01 तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस
- 4- 01 छूरी

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अहार पर मुअसं-145/21 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड), मुअसं-146 व 147 /21 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम व मुअसं-148/21 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री सतेन्द्र कुमार थाना प्रभारी अहार
- 2- उ0नि0 श्री नीरज कुमार
- 3- का0 नीरज कुमार, का0 अरुण कुमार, का0 विकास कुमार,